भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 726635

ट्रस्ट पूँजी –5100–रूपया

स्टाम्प –750–रूपया

पर्त –15–

ट्रस्ट डीड (रामचन्द्र पाण्डेय एजूकेशनल ट्रस्ट)

यह विलेख आज दिनांक 01/08/2017 को डा0 अमित पाण्डेय पुत्र स्व0 रामचन्द्र पाण्डेय निवासी –3/131– आवास विकास कालौनी शहर व जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश द्वारा निष्पादित किया गया है।

1– **ट्रस्ट का नाम ——— रामचन्द्र पाण्डेय एजूकेशनल ट्रस्ट।**

2– **ट्रस्ट का पता**————स्थाई पता– मकान नम्बर –3/131– आवास विकास कालौनी शहर व जनपद मैनपुरी।

3– **ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र**————सम्पूर्ण भारत वर्ष

शाखा कार्यालय – ट्रस्ट की शाखायें देश के अन्य स्थानों पर स्थापित की जा सकतीं है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AX 726636

4–ट्रस्ट में लगाया गया धन ——— ट्रस्ट में लगाया गया धन –51,00– इक्यावन सौ रूपया नगद धनराशि डा0 अमित पाण्डेय पुत्र स्व0 रामचन्द्र पाण्डेय निवासी –3/131– आवास विकास कालौनी शहर व जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश द्वारा ट्रस्ट के लिये समर्पित की गयी है उपरोक्त धन राशि के अतिरिक्त ट्रस्ट के पास वर्तमान दशा में अन्य चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।

5– ट्रस्ट के तत्व ——— भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व को आवद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ को स्वीकार करेगा मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन तत्वों पर आधारित है ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आवद्ध होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है। और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक हैं ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वागित्व के आभार का आवद्ध करेगा। इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 726637

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे

1– डा0 अमित पाण्डेय पुत्र स्व0 रामचन्द्र पाण्डेय निवासी –3/131– आवास विकास कालौनी शहर व जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश।........................ ... मुख्य ट्रस्टी/ ट्रस्टकर्ता

2– डा0 शालिनी पाण्डेय पत्नी डा0 अमित पाण्डेय निवासी –3/131– आवास विकास कालौनी शहर व जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश।....................ट्रस्टी/सदस्य

3– श्री अंचित देवांश पुत्र डा0 अमित पाण्डेय निवासी –3/131– आवास विकास कालौनी शहर व जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश ट्रस्टी/सदस्य

ट्रस्ट के उद्देश्य——————

1–शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राइमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट तथा आवश्यकतानुसार महाविद्यालयों की स्थापना करना, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी शिक्षा व संस्कृति शिक्षा पद्धति द्वारा विद्यालय का संचालन करना एवं व्यवस्था करना एवं अन्य का ज्ञान उपलब्ध कराना तथा युवक –युवतियों को उच्च तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 726638

2–देश–विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर समाज के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना एवं संस्थाओं के विकास हेतु पत्र–पत्रिकाओं का निः शुल्क प्रकाशन कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा समितियों द्वारा हस्तान्तरित संस्थाओं को सुचारु रूप से पुनः गति में लाना।

3–मानव कल्याण हेतु जनहित के कार्य करना एवं समय समय पर अन्य समाज सेवी जनहितकारी कार्य करना, समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं समय समय पर निःशुल्क जागरूकता शिवरों का आयोजन करना।

4–जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा विद्यालयों/उच्चशिक्षा संस्थानों/डिग्री कालेजों/इन्जीरिंग कालेज तकनीकी एवं कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, कम्प्यूटर युक्त आधुनिक शिक्षा पद्वति से करना, उनका प्रवन्धन एवं संचालन करना है।

5–समय समय पर अन्य समाज सेवी जनहितकारी कार्य करना।

6–संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से अथवा निजी व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों से अनुदान/दान अथवा ऋण प्राप्त करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 726639

7–ट्रस्ट के विकास हेतु निर्धन, अनाथ एवं निर्वल वर्ग नागरिकों, वृद्ध जनों, विधवा/अनाथ महिलाओं, निराश्रित अनाथ बच्चों, अपंग लोगों के कल्याण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों संगठनों के वित्तीय सहयोग/अनुदान/ऋण से चलायी जा रहीं समस्त कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर नागरिकों का सर्वांगीय विकास करना।

8–गरीब एवं असहाय जरूरतमन्द लोगों के लिये अस्पताल/नर्सिंग होम आदि खोलना तथा उनको चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना।

9– धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करना नवीन मन्दिरों का निर्माण कराना व उनकी देख रेख की समुचित व्यवस्था करना।

10– जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा शिक्षा का प्रचार–प्रसार कना तथा विद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों/डिग्री कालेजों/इन्जीनियरिंग/तकनीकी एवं कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, कम्प्यूटर युक्त आधुनिक शिक्षा पद्धति से करना तथा अस्पताल आदि, उनका प्रवन्धन एवं संचालन करना अथवा मेडीकल कालेज का संचालन व प्रवन्ध करना ।

11– युवक, युवतियों को उच्च तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना।

12– समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना एवं उनकी सहायता करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 726642

8– ट्रस्टियों की नियुक्ति

सभी ट्रस्टी आजीवन इस ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष की मृत्यु के उपरान्त सचिव की सहमति द्वारा नामित व्यक्ति अथवा उनका उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे। सचिव व उपध्यक्ष की मृत्योपरान्त उनके उत्तराधिकारी में उनके सबसे बड़ा पुत्र, अथवा दूसरे नम्बर का पुत्र और पुत्र न होने पर बड़ी पुत्री ट्रस्टी होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्टियों की संख्या घटाई व बढ़ई भी जा सकती है जो इस ट्रस्ट का अंग माना जावेगा। तथा ट्रस्टियों की संख्या घटाने बढ़ाने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी नम्बर दो प्रवन्धक/सचिव को होगा।

9–संचालित संस्थानों की प्रवन्ध समितियों के नामित सदस्य

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्थान जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होंगे की प्रवन्ध समितियों का गठन मुख्यट्रस्टी व अन्य ट्रस्टी और प्रवन्धक/सचिव मिलकर करेंगे।

10– ट्रस्ट प्रमुख

डा0 अमित पाण्डेय पुत्र स्व0 रामचन्द्र पाण्डेय निवासी –3/131– आवास विकास कालौनी शहर व जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश इस **अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी** होंगे व डा0 शालिनी पाण्डेय पत्नी डा अमित पाण्डेय निवासी मकान नम्बर –3/131– आवास विकास कालौनी शहर व जनपद मैनपुरी इस ट्रस्ट की **उपाध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी** होंगी व श्री अंचित देवांश पुत्र डा0 अमित पाण्डेय निवासी –3/131– आवास विकास कालौनी शहर व जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश इस ट्रस्ट के **सचिव/मुख्य ट्रस्टी** होंगी

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये रु.50
FIFTY RUPEES Rs.50
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
AX 726643

एवं व होंगे व ये तीनों ही मुख्यट्रस्टी/ट्रस्ट प्रमुख होंगे किन्तु अध्यक्ष की मृत्योपरान्त सचिव के द्वारा नामित व्यक्ति अथवा उनका उत्तराधिकारी ही पदाधिकारी/प्रमुख ट्रस्टी/मुख्यट्रस्टी होंगे। उत्तराधिकरी में मुख्यट्रस्टी का सबसे बड़ा पुत्र/पुत्र न होने पर सबसे बड़ी पुत्री मुख्यट्रस्टी/पदाधिकारी/प्रमुख ट्रस्टी होगी।

11– ट्रस्टियों की संख्या

ट्रस्टियों की संख्या मुख्यट्रस्टियों को मिलाकर पॉच होगी। जिसमें मुख्यट्रस्टी तीन होंगे

1– डा0 अमित पाण्डेय पुत्र स्व0 रामचन्द्र पाण्डेय निवासी –3/131– आवास विकास कालौनी शहर व जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश............**अध्यक्ष मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्टकर्ता**

2– डा0 शालिनी पाण्डेय पत्नी डा0 अमित पाण्डेय निवासी –3/131– आवास विकास कालौनी शहर व जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश............**उपाध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी**

3– श्री अंचित देवांश पुत्र डा0 अमित पाण्डेय निवासी –3/131– आवास विकास कालौनी शहर व जनपद मैनपुरी उत्तर प्रदेश...........**प्रवन्धक /सचिव (मुख्य ट्रस्टी)**

12– ट्रस्ट की वैठक

ट्रस्ट की साधारण वैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को एक सप्ताह (सात दिन) पूर्व दी जायेगी किन्तु विशेष वैठक किसी भी समय चौवीस घंटे पहले लिखित अथवा दूरभाष एवं अन्य प्रकार से सूचना देकर बुलायी जा सकती है वैठक अध्यक्ष एवं प्रवन्धक की सहमति से अध्यक्ष अथवा प्रवन्धक में से कोई भी बुला सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 726644

13–गणपूर्ति

वैठक में समस्त ट्रस्टियों के 2/3 ट्रस्टियों का होना अनिवार्य है।

14– ट्रस्टी मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य

1–अध्यक्ष–(A) ट्रस्टीमण्डल के अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रत्येक सभा में एवं प्रमुख स्थानों पर सभा अध्यक्षता करेंगे।

(B)– मीटिंग बुलाने के लिये प्रवन्धक को निर्देश देना।

15– ट्रस्ट में ट्रस्टियें एवं अन्य ट्रस्टियों का चुनाव

ट्रस्ट का चुनाव प्रत्येक पॉच वर्ष बाद होता रहेगा जिसमें ट्रस्टियों की संख्या या पद को घटाया या बढ़ाया जा सकता है व नये ट्रस्टियों का चयन भी किया जा सकता है जिसकी सूचना अध्यक्ष अथवा प्रवन्धक/सचिव द्वारा एक माह पहले सभी पदाधिकारियों व अन्य सदस्यों को लिखित अथवा दूरभाष द्वारा देगा। अन्य ट्रस्टियों/सदस्यों को कोई एतराज न होवेगा और न ही कोई दावा विवाद किसी भी अदालत में पेश नहीं करेगा अध्यक्ष अथवा प्रवन्धक/सचिव के अनुसार होगा।

2– प्रवन्धक/सचिव–

(A)– ट्रस्टी की ओर से समस्त पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना तथा उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।

(B)– ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 726645

(C)– ट्रस्ट के हित में दान, चंदा प्राप्त करना तथा संस्था कोष में जमा कराना ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देख भाल करना।

(D)–दान अनुदान चन्दा प्राप्त करना व उसकी रसीद देना ट्रस्ट के सभी अभिलेखों का समय–समय पर निरीक्षण करना।

(E)– ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष की अनुमति एवं वादों की पैरवी करना।

(F)–संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों, वन्धक विलेखों, विल वाउचर पर संयुक्त रूप से अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर करना।

15– लेखा परीक्षक–

ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टियों के मार्ग दर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्ति किया जा सकेगा एवं मुख्य ट्रस्टियों द्वारा अनावश्यक समझे जाने पर हटाया भी जा सकेगा ट्रस्टी प्रमुख के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आडिट आदि करावेगा संस्था के आय व्यय वही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जॉच हेतु मुख्य ट्रस्टीगण के समक्ष प्रस्तुत करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 726646

16–ट्रस्टों के उद्देश्यों में धन लाभ निहित नहीं है।

17–संस्थाओं की प्रवन्ध समितियों का गठन–

1– ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिये प्रवन्ध समिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मुख्य ट्रस्टीगण चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेंगे।

2– ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों/महाविद्यालयों की प्रवन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित प्रवन्धकीय योजना (उच्च शिक्षा) के अनुरूप होंगे।

3– ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों/महाविद्यालयों के संचालन के लिये प्रवन्ध समिति का गठन मुख्यट्रस्टी व अन्य तीन ट्रस्टी मिलकर करेंगे। प्रवन्ध समिति एवं उसके पदाधिकारियों का चयन इन्हीं तीन ट्रस्टियों में से होगा अर्थात ट्रस्ट द्वारा संचालित हर विद्यालय/महाविद्यालय के प्रवन्ध समिति में ट्रस्ट के ये तीन ट्रस्टी ही ट्रस्टी होने के नाते प्रवन्ध समितियों के सदस्य व पदाधिकारी होंगे।

4– ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय में एक मुख्य ट्रस्टी ही पदाधिकारी व सदस्य होंगे जिसमें पदाधिकारियों का चयन मुख्यट्रस्टी नम्बर एक व सचिव मिलकर ही करेंगे। संचालित संस्थान/महाविद्यालय में निम्न पदाधिकारी होंगे।

1.........अध्यक्ष ——————एक

2–.....उपाध्यक्ष..............................एक

3........प्रवन्धक/सचिव...............एक

व दो अन्य

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AX 726647

श्री रामचन्द्र पाण्डेय एजूकेशनल ट्रस्ट का गठन विगत लगभग –23– दिन पूर्व दिनांक 09/07/2017 दिन रविवार अषाढ़ी मास शुक्लपक्ष तिथि पूर्णिमा को हुआ था किन्तु इस ट्रस्ट डीड की रजिस्ट्री आज दिनांक –01/08/2017– को साधारण जनता के हितों व लाभों के लिये किया गया है ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों/डिग्री कालेजों का संचालन किया जाना, वृद्धों, निर्वलों, असहायों, विकलांगों परित्यक्ता महिलाओं, व अनाथ बच्चों की सहायता करना, रोगी आदि रोग के निर्वाण हेतु तत्पर्ता दिखाना व चिकित्सालयों की स्थपना कराना, व ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णोद्वार करने, निर्धन, कन्याओं के विवाह आदि करवाना व यथासमय निर्धनों को दान आदि देनें एवं इसका उपयोग अन्य सभी गैर लाभकारी कार्या के लिये किया जाना ही ट्रस्ट का उद्देश्य होगा।............................

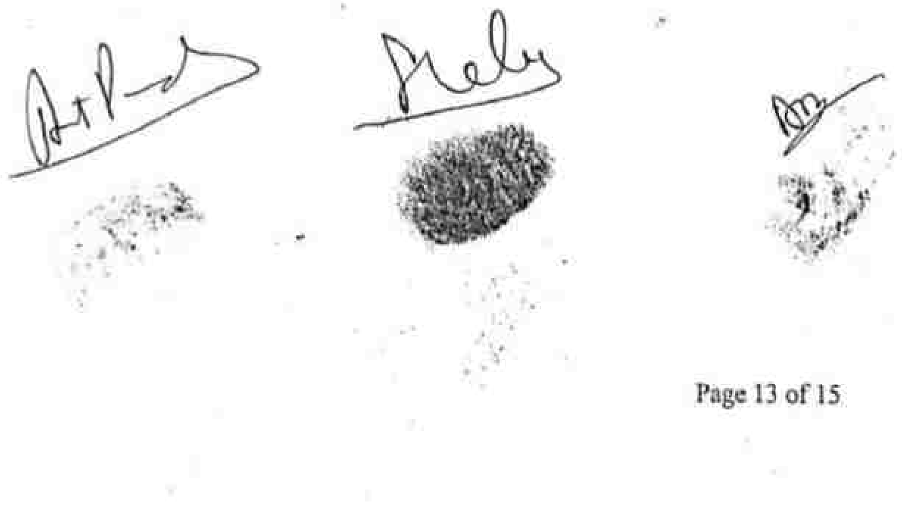

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 726648

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्यट्रस्टियों द्वारा सम्पूर्ण राजी व खुशी से बिना किसी अनुचित दवाव व प्रभाव के पूर्ण होशो हवास में परिजनों से सलाह मश्विरा करके स्वस्थ मन व चित्त से पढ़कर व सुनकर यह न्यास पत्र (ट्रस्ट डीड) लिखवा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।..

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 726649

इति तारीख तहरीर 01/08/2017 ड्राफ्टकर्ता विनय दुबे एडवोकेट कलक्ट्रेट परिसर मैनपुरी। मोबइाल नम्बर 9897141428

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

साक्षी–1–श्री विनय दुबे एडवोकेट कलक्ट्रेट परिसर मैनपुरी। मोबइाल नम्बर 9897141428

साक्षी–2–श्री अरविन्द कुमार पाराशर लेखपत्र लेखक कलक्ट्रेट परिसर मैनपुरी। मोयइाल नम्यर 9412186461